राजस्थान सरकार

मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर

क्रमांक एफ2(4)निम/लेखा/ठेका/2020–21/2593 जयपुर, दिनांकः–25.02.2020

मत्स्याखेट हेतु जलाशय नीलामी बोली सूचना संख्या–01

राज्य में स्थित विभिन्न श्रेणी के मत्स्य विभाग के अधीन जलाशयों में मत्स्याखेट के अधिकार वर्ष 2020–21 से आवंटन हेतु नीलामी बोली आमन्त्रित की जाती हैं।

नीलामी बोली प्रपत्र मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड़, जयपुर कार्यालय से कार्य दिवस में रूपये 400/– नकद/डी0डी0 देकर प्राप्त किये जा सकते हैं। बोलीदाता चाहे तो मत्स्य विभाग की वेबसाइट www.fisheries.rajasthan.gov.in एवं आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर की वेबसाइट www.diprrajasthan.gov.in से टेण्डर फार्म डाउनलोड कर भेज सकता है, परन्तु डाउनलोड प्रपत्र के साथ नीलामी बोली शुल्क रूपये 400/– का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के साथ पृथक से जमा कराना होगा। नीलामी बोली के साथ बोलीदाता को जलाशय की आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत अमानत राशि ड्राफ्ट से जमा करानी होगी। अमानत राशि के अभाव में नीलामी बोली निरस्त योग्य होगी। अमानत राशि निदेशक, मत्स्य विभाग, जयपुर के पक्ष में देय होगी। नीलामी बोली दिनांक 18.03.2020 को दोपहर 1.00 बजे तक विक्रय तथा दोपहर 2.00 बजे तक जमा की जाएगी तथा उसी दिनांक को दोपहर 2.30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। नीलामी बोली की विस्तृत शर्तें, अमानत राशि का विवरण वेबसाईट पर अथवा कार्यालय में सम्पर्क कर देखा जा सकता है। नीलामी बोली से संबंधित सभी अधिकार निदेशक मत्स्य के पास सुरक्षित रहेंगे।

निदेशक

क्रमांक एफ2(4)निम/लेखा/ठेका/2020–21/2594–2793 दिनांकः–25.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित कर अनुरोध है कि इस नीलामी निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन विस्तृत प्रचार हेतु एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के सभी संस्करणों में, एक अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्र में तथा एक किसी ट्रेड जनरल में जो नीलामी बोलियां आमन्त्रित करने की सूचनाओं को प्रकाशित करने की विशेषज्ञता रखता हो, में नीलामी बोली विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का श्रम कराएं।
4. मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त राज्यों के निदेशक/आयुक्त, मत्स्य विभाग को भेजकर अनुरोध हे कि आपके राज्य के मत्स्य ठेकेदारों को सूचित करने का कष्ट करें।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,———————को भेजकर लेख है कि आप अपने अधीन समस्त विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों को नीलामी निविदा विज्ञप्ति से सूचित करने का श्रम करें।
7. संयुक्त निदेशक मत्स्य, राजस्थान, जयपुर।
8. सहायक निदेशक मत्स्य (योजना) राज. जयपुर
9. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य,———————
10. समस्त मत्स्य विकास/ परियोजना अधिकारी————————————
11. रोकड शाखा/ भण्डार शाखा/ संस्थापन निदेशालय मत्स्य, जयपुर।
12. श्री विश्वेन्द्र टिंकर सहायक सांख्यिकी अधिकारी को भेजकर लेख हैं कि उक्त अधिसूचना को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करें।
13. नोटिस बोर्ड निदेशालय, मत्स्य, राजस्थान, जयपुर/ रक्षित पत्रावली
14. समस्त मत्स्य ठेकेदार।

निदेशक

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

नीलामी निविदा प्रपत्र | निविदा खोलने की दिनांक – 18.03.2020

विषयः– 'क' श्रेणी के जलाशयों के मत्स्याखेट ठेके वर्ष 2020–21 में मत्स्य नियम 1958 व संशोधित नियमों के प्रावधान अनुसार नीलामी निविदा प्रपत्र।

1– निविदादाता का नाम :– ————————————————————————————

————————————————————————————

2– पिता/पति का नाम :– ————————————————————————————

3– (1) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता मय पिन कोड़ :– ——————————————————

————————————————————————————

————————————————————————————

दूरभाष नम्बर – ————————————————————————————

मोबाइल नम्बर– ————————————————————————————

(2) स्थाई पताः–————————————————————————————

————————————————————————————

4– संदर्भ :– नीलामी निविदा विज्ञप्ति क्रमांकः– एफ.2 (4) निम /लेखा /ठेका /2020–21/2593 दिनांकः– 25.02.2020

5– पता जिस पर निविदा भेजनी है :– निदेशक मत्स्य विभाग, राज0, जयपुर। पशुधन भवन, गांधीनगर मोड, जयपुर।

6– नीलामी निविदा शुल्क रूपये 400/– नकद रसीद संख्या————————————

दिनांक ——————अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या————————
दिनांक ——————

7– नीलामी निविदा विज्ञप्ति की शर्तानुसार जमा कराये गये/जाने वाली अमानता राशि का विवरणः–

बैंक ड्राफ्ट	क्रमांक	दिनांक	राशि

मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी की गई नीलामी निविदा विज्ञप्ति क्रमांक एफ.2(4) निम/लेखा/ठेका/2020–21/2593 दिनांक 25.02.2020 में वर्णित सभी शर्ते पढ ली है तथा संलग्न शर्तो पर मैंने/हमनें हस्ताक्षर कर दिये है तथा मुझे/हमें सभी शर्ते मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

स्टेजेज बढोतरी आधार पर जलाशयों को मत्स्याखेट हेतु ठेके पर दिये जाने के सम्बन्ध में ठेकों की निविदा शर्तेः–

<u>नीलामी निविदा शर्ते वर्ष 2020–21</u>

1 प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ जलाशय की आरक्षित राशि के आधार पर आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत राशि (जलाशय के सामने अंकितानुसार) अमानता राशि जमा करानी होगी।

2 निविदा के लिए समय सारणी निम्न प्रकार हैः–

निविदा विक्रय की अंतिम दिनांक व समय	निविदा जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय	जलाशय जिनकी निविदा मांगी जा रही हैं
दिनांक 18.03.2020 अपरान्ह 1.00 बजे तक	दिनांक 18.03.2020 अपरान्ह 2.00 बजे तक	दिनांक 18.03.2020 अपरान्ह 2.30 बजे	''क'' प्रवर्ग के जलाशय (निविदा प्रपत्र में दिये गये विवरणानुसार)

3 प्रत्येक निविदादाता को निविदाओं के साथ प्रत्येक जलाशय की अलग अलग 10 प्रतिशत अमानता राशि के ड्राफ्ट जो निदेशक मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर के नाम से देय होगा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। अमानता के लिये चैक व लिफाफे में रखी गई राशि मान्य नहीं होगी। बिना अमानता राशि की निविदा मान्य नहीं होगी।

4 अमानता राशि यदि कम जमा कराई जाती है तो उस निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

5 सभी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट जलाशयों को पहले से विहित प्रक्रिया के अनुसार स्टेजेज बढोतरी के आधार पर सामान्यतः 5 वर्षो की समयावधि के लिए पट्‌टे पर दिया जा सकेगा। पट्‌टेदार को प्रतिवर्ष पट्‌टे धन की संचयी बढती रकम का संदाय करना आवश्यक होगा। ऐसी बढोत्तरी पूर्ववर्ती वर्ष की पट्‌टा रकम का 12 प्रतिशत होगी। तद्‌नुसार आगामी वर्षों के लिए बढी हुई पट्‌टे (लीज) राशि का 1/4 राशि चालू वर्ष की 31 जनवरी तक बढी हुई प्रतिभूति राशि सहित जमा कराई जानी होगी तथा शेष 3/4 पट्‌टा (लीज) राशि 15 मार्च तक जमा कराई जानी होगी। यदि पट्‌टेदार उपरोक्त विहित कालावधि के भीतर पट्‌टा रकम जमा कराने पर असफल रहता है तो पश्चातवर्ती वर्ष के लिए मछली पकड़ने की अनुमति रद्‌द कर दी जायेगी तथा जलाशय को पुनः ठेके पर दिया जाएगा।

6 निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

7 निविदादाता को अपनी निविदा को वापस लेने अथवा दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।

8 सफल निविदादाता को अपनी निविदा राशि की चौथान राशि (1/4 राशि) निर्देश पर उसी दिन तुरन्त जमा करानी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा कराई गई समस्त अमानता राशि को जप्त कर लिया जायेगा। शेष 3/4 राशि स्वीकृति जारी होने के 30 दिवस में जमा कराई जाकर कुल निविदा रकम का साढे सात प्रतिशत (7.5)की दर से प्रतिभूति राशि 3/4 राशि के साथ अथवा अनुज्ञा पत्र लेते समय जमा करवायी जाकर स्वयं उपस्थित होकर अनुबन्ध कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा। विभाग को देय समस्त राशि निदेशक मत्स्य, राज0 जयपुर के नाम देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी। निविदादाता द्वारा जमा करवाई गई उसी जलाशय की अमानता राशि को चौथान राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।

9 निदेशक मत्स्य/निविदा समिति को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10 निविदादाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम, 1953 तथा मीन नियम 1958 व समय समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पडेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

11 ठेकेदार को निविदा में अंकित जलाशयों जैसे बन्ध/नहर/तालाब/नदी आदि में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या नहीं पकड सकने के कारण तथा अन्य किसी कारण से होने वाले नुकसान आदि के लिए किसी प्रकार का हर्जा या मुआवजा प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।

12 जलाशय में विभागीय परियोजनाएं यथा स्पोर्ट फिशिंग, केज/पैन कल्चर आदि प्रारम्भ की जाने पर निविदादाता तदनुसार विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु बाध्य होगा।

13 निविदादाता द्वारा जलाशय अन्य किसी भी ठेकेदार को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी कारणवश किसी जलाशय पर मनोनीत सदस्य नियुक्त किया जाता है तो नियमानुसार शुल्क जमा कराकर अधिकार पत्र प्राप्त करके सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी/क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य/निदेशक मत्स्य को उसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित कर मनोनयन हेतु सक्षम अधिकारी की मान्यता प्राप्त करेगा अन्यथा अधिकार पत्र न होने की दशा में जलाशय पर मत्स्याखेट अवैधानिक माना जाकर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।

14 पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों की ओर से केवल समिति के प्रस्ताव पर मनोनीत सदस्यों को निविदा देने का अधिकार होगा। इन्हें प्रमाणित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही 5 प्रतिशत कीमत अधिमान् का लाभ देय होगा। कम्पनी/फर्म या अन्य संस्थाओं के मामले में भी संस्था अध्यक्ष/एम.डी./सी.ई.ओ./ई.डी./प्रोपराइटर/पार्टनर आदि अधिकृत व्यक्ति को प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

15 अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर सम्बन्धित निविदादाता को जलाशय का मूल अनुज्ञा पत्र व समस्त लेबर परमिट तथा पाक्षिक पकडी गई मछली के ब्यौरे वाला प्रपत्र आदि निदेशक मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर को जमा कराने होंगे।

16 यदि किसी जलाशय के लिए विशेष निविदा शर्त उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त होगी या निविदा शर्तों में कोई संशोधन/परिवर्धन होगा तो निविदा खोलने के पूर्व कमेटी द्वारा घोषित कर अंकित कर दी जाएगी।

17 राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधित नियम 1991) के प्रारूप 3 की शर्त संख्या 6 व प्रारूप (3) (1) की शर्त संख्या–8 के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करके/नीलामी के द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति प्रतिवर्ष जारी किये जाने की तारीख से 31 मार्च तक प्रवृत्त रहेगी।

18 सफल निविदादाता द्वारा चौथान राशि जमा कराने के बाद ही अन्य निविदादाताओं को धरोहर राशि लौटाई जाएगी।

19 निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवं तार व पत्र मान्य नहीं होगा। तार द्वारा दी गई निविदा मान्य नहीं होगी।

20 निविदादाता को निविदा प्रपत्र में अपना सही पता अंकित करना होगा। संपूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्रादि/सूचना निविदादाता के पास नहीं पहुचेगी तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

21 अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी से लेबर परमिट प्राप्त करना होगा तथा मछली पकडने का कार्य प्रारम्भ करने व बन्द करने की सूचना पूर्व में ही संबन्धित मत्स्य अधिकारी को लिखित में देनी होगी।

22 जलाशय में मत्स्य बीज, खाद आदि का संग्रहण सम्बन्धित मत्स्य विकास अधिकारी से प्रमाणित कराकर उनकी उपस्थिति में किया जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मत्स्य बीज संग्रहण ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से केवल दिन के उजाले में ही किया जाएगा। बीज संग्रहण किये जाने की पूर्व सूचना ठेकेदार द्वारा संबंधित जिला मत्स्य अधिकारी को कम से कम दो दिन पूर्व देनी होगी। संबंधित अधिकारी से प्रमाणित कराए बिना ठेकेदार द्वारा किया गया मत्स्य बीज संग्रहण मान्य नहीं होगा। जलाशय में मत्स्य बीज संचय करने की अनुमानित संख्या ठेकेदार को अनुबंध/अनुज्ञापत्र जारी करते समय सूचित कर दी जाएगी। अनुमोदित मत्स्य बीज जलाशय में संचय नहीं करने की स्थिति में ठेका/अनुज्ञापत्र निरस्त करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

23 चालू वर्ष के ठेके की राशि एंव आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण की राशि मय प्रतिभूति राशि जमा कराने के लिए पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं कराने के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

24 मेरे द्वारा सभी निविदा शर्तें स्वीकार की गई और ये शर्तें मेरे द्वारा विभाग के साथ किये गये अनुबंध का भाग मानी जाएगी।

25 निवास स्थान का पता एवं नाम जो भी निविदा पत्र में अंकित किया जायेगा उसका स्वहस्ताक्षरित फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति निविदा प्रपत्र (विभाग से क्रय/वेबसाईट से डाउनलोड़) के साथ संलग्न करनी होगी।

26 स्टाम्प एक्ट के आर्टिकल के तहत पंजीयन शुल्क देय होगा तो उसका भुगतान पट्टेदार को देना होगा।

27 नीलामी के पश्चात यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर/सर्विस टैक्स मत्स्याखेट पर आरोपित किया जाता है तो उसे स्वीकृत बोलीदाता द्वारा अलग से देय होगा।

28 जलाशय के प्रभावी जलक्षेत्र का 5 प्रतिशत विभाग/राज्य सरकार से संबंधित कार्यों, आर. एण्ड डी. एवं केज कल्चर के लिए केजेज स्थापित करने का सम्मिलित करते हुए आरक्षित रहेगा।

29 मत्स्याखेट हेतु काम में आने वाली नावों का पंजीकरण निर्धारित प्रपत्र में संबंधित कार्यालय में करवाना आवश्यक हैं मत्स्याखेट से पूर्व नावों पर नियमानुसार पंजीकरण क्रमांक, चेतावनी एवं मत्स्य ठेकेदार का नामव ठेका वर्ष नावों पर अंकित कराना आवश्यक है। नाव में सवार होने से पूर्व प्रत्येक नाविक/मछुआरा को सेफ्टी जैकेट (लाईफ जैकेट) पहनना आवश्यक है।

30 मैंने/हम निविदादाताओं ने राजकीय मछली ठेकों की निविदा की उपरोक्त सभी शर्ते पढ़ ली है। उक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं, तथा मंजूरी के हस्ताक्षर मैंने/हमने अपनी राजी–खुशी बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो–हवास में किये हैं तथा मुझे/हमें पूर्ण रूप से सभी शर्तें मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

मत्स्याखेट वर्ष 2020–21 में राजस्थान मीन नियम 1958 के संशोधित नियम वर्ष 1997 एवं वर्ष 2003 के नियम 5 (1) (ड.) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 'क' श्रेणी के जलाशयों हेतु दर अंकित करने हेतु तालिका :–

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानतता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला जयपुर				
1	बंध बुचारा	5.50	55000		
2	बंध छीतौली मय नदी लोअर व अपर	5.00	50000		
3	बंध मावठा (आमेर)	5.00	50000		
	जिला अलवर				
4	बंध जयसमंद	5.00	50000		
	जिला दौसा				
5	बंध रेड़िया मय नदी मल्लाना तक दौसा–अलवर	10.00	100000		
	जिला सीकर				
6	रायपुर पाटन	7.50	75000		
7	बंध दीपावास	5.50	55000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानतता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला टोंक				
8	बंध टोरडी सागर	23.00	230000		
9	बंध सहोदरा (मालपुरा) जि.प.	7.00	70000		
10	बंध बीसलपुर मय नदी डाई खारी जिला अजमेर – भीलवाडा मय बंध भटेडा, टोंक	650.00	6500000		
	जिला भीलवाड़ा				
11	बंध कोठारी स्टेज नं. 2 मय नदी डैम से कोटू कोटा तक (माण्डलगढ़)	160.00	1600000		
12	बंध गोवटाघाटा (माण्डलगढ़)	20.00	200000		
13	बंध पचानपुरा	20.00	200000		
14	बंध अरवड़	15.00	150000		
15	बंध मण्डोल	12.00	120000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला हनुमानगढ़				
16	घग्घर डिप्रेशन 1 से 18 हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिला।घग्धर डाईवर्सन चैनल 0 से 158 आर डी तक वं डाईवर्सन चैनल के स्केपमय गढ्डे। घग्घर नदी एवं उसके समस्त गढ्ड टिब्बी स्केप से अनुपगढ तक(राजस्थान सीमा) इंदिरा गांधी नहर जिला श्रीगंगानगर बीकानेर एवं हनुमानगढ़ तथा उसकी समस्त शाखाऐं श्रीगंगानगर एवं बीकानेर की कंवरसेन लिफ्ट कैनाल बीरध्नोल हेड से बीकानेर तक को छोडकर) इंदिरा गांधी नहर फीडर एवं उसकी समस्त शाखाऐं (राजस्थान सीमा)गंग कैनाल, भाखडा कैनाल व उसकी समस्त शाखाऐं (मय बोरोप्टिस। अमरसिंह कैनाल एवं उसकी समस्त शाखाऐं राजस्थान सीमा इंदिरा गांधी नहर आर डी 750 के स्केप तथा समस्त डिप्रेशन इंदिरा गांधी नहर आर डी 507 के स्केप चैनल घेघडा झील तथा समस्त डिप्रेशन जिला श्रीगंगानगर,बीकानेर एवं हनुमानगढ़।	102.00	1020000		
	जिला उदयपुर				
17	बंध स्वरूप सागर रंग सागर पिछौला	19.50	195000		
18	बंध फतेहसागर	40.00	400000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला उदयपुर				
19	नदी भेडच (उदयपुर–चितौडगढ–भीलवाडा)	22.00	220000		
20	बंध सैई डैम , जिला उदयपुर (जिला.परि. से प्राप्त)	7.00	70000		
21	बंध बडी (बडगाव)	12.00	120000		
	जिला डूंगरपुर				
22	बंध लोडेश्वर	17.00	170000		
23	बंध टामटिया	5.00	50000		
24	बंध बाबा की बार	5.00	50000		
	जिला चित्तौड़गढ़				
25	बंध घोसुण्डा डैम	45.00	450000		
26	बंध अरनिया	7.00	70000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला चित्तौड़गढ़				
27	बंध गम्भीरी मय नदी	175.00	1750000		
	जिला करौली				
28	बंध जगर	50.00	500000		
29	बंध कालीसिल मय नदी बडवासन कैरी उमर का स्त्रोत्	76.00	760000		
30	बंध मामचारी	20.00	200000		
	जिला कोटा				
31	नदी चम्बल लोअर कोटा बैराज से रंगपुर तक जिला कोटा केशोरायपाटन मंदिर क्षेत्र से 100 मीटर छोडकर	8.00	80000		
	जिला बूंदी				
32	बंध अभयपुरा	15.00	150000		
33	बंध भीमलत	11.00	110000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला बूंदी				
34	बंध दुगारी	40.00	400000		
35	बंध पाईबालापुरा	15.00	150000		
	जिला झालावाड				
36	बंध चन्द्रसरोवर (गावडी)	5.50	55000		
37	बंध भीम सागर	25.00	250000		
38	बंध पीपलाद	66.00	660000		
39	बंध सूर्यसागर (खण्डिया)	11.00	110000		
	जिला पाली				
40	बंध बाबरा (जिला परिषद से प्राप्त)	5.00	50000		
41	बंध रायपुर मय नदी	50.00	500000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानतता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि अंकों में शब्दों में
	जिला पाली			
42	बंध गजनई	15.00	150000	
43	बंध रोड़ावास	10.00	100000	
44	बंध छोडा	6.00	60000	
45	बंध खारडा	8.00	80000	
	जिला सिरोही			
46	बंध सूकली सेलवाडा मय नदी सिरोही	45.00	450000	
47	बंध ओड़ा मय नदी	16.00	160000	
48	बंध टोकरा	15.00	150000	

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला सिरोही				
49	बंध पश्चिमी बनास मय नदी	35.00	350000		
50	बंध धान्ता	5.00	50000		
	जिला सवाईमाधोपुर				
51	बंध भगवतगढ	5.00	50000		
	जिला बांरा				
52	बंध सहरोल तलहटी	5.00	50000		
53	बंध उम्मेद सागर (गरड़ा)	15.00	150000		
54	बंध उतावली	10.00	100000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र.सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि	
				अंकों में	शब्दों में
	जिला अजमेर				
55	बंध हमीर सागर (हमीर तालाब) किशनगढ़	7.00	70000		
	जिला जौधपुर				
56	बंध कायलाना तख्त सागर	12.00	120000		
57	बंध बालसमन्द	7.00	70000		
	जिला जालौर				
58	बंध बांडी सिणधरा	25.00	250000		
	जिला राजसमंद				
59	बंध नंदसमंद (नमाना)	20.00	200000		
60	बंध मानसरोवर देवगढ़	5.00	50000		

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

नीलामी निविदा प्रपत्र **निविदा खोलने की दिनांक – 18.03.2020**

विषयः– 'ख' श्रेणी के जलाशयों /नदियों/नहरों एवं नगर निगम/ नगर परिषद/ नगरपालिका सीमा में आने वाले 'ख','ग' व 'घ' श्रेणी के जलाशयों को मत्स्याखेट ठेके वर्ष 2020–21 में मत्स्य नियम 1958 व संशोधित नियमों के प्रावधान अनुसार नीलामी निविदा प्रपत्र।

1– निविदादाता का नाम :– ————————————————————————————
————————————————————————————

2– पिता/पति का नाम :– ————————————————————————————

3– (1) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता मय पिन कोड़ :– ——————————————————
————————————————————————————
————————————————————————————

दूरभाष नम्बर – ————————————————————————————

मोबाइल नम्बर– ————————————————————————————

(2) स्थाई पताः————————————————————————————
————————————————————————————

4– संदर्भ :– नीलामी निविदा विज्ञप्ति क्रमांकः– एफ.2 (4) निम /लेखा /ठेका /2020–21/2593 दिनांकः– 25.02.2020

5– पता जिस पर निविदा भेजनी है :– निदेशक मत्स्य विभाग, राज0, जयपुर। पशुधन भवन, गांधीनगर मोड, जयपुर।

6– नीलामी निविदा शुल्क रूपये 400/– नकद रसीद संख्या——————————

दिनांक ——————अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या————————

दिनांक ——————

7– नीलामी निविदा विज्ञप्ति की शर्तानुसार जमा कराये गये/जाने वाली अमानता राशि का विवरणः–

बैंक ड्राफ्ट	क्रमांक	दिनांक	राशि

मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी की गई नीलामी निविदा विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 2(4)निम/लेखा/ठेका/2020–21/2593 दिनांक 25.02.2020 में वर्णित सभी शर्ते पढ़ ली है तथा संलग्न शर्तो पर मैंने/हमनें हस्ताक्षर कर दिये है तथा मुझे/हमें सभी शर्ते मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

स्टेजेज बढोतरी आधार पर जलाशयों को मत्स्याखेट हेतु ठेके पर दिये जाने के सम्बन्ध में ठेकों की निविदा शर्तेः–

<u>नीलामी निविदा शर्ते वर्ष 2020–21</u>

1 प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ जलाशय की आरक्षित राशि के आधार पर आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत राशि (जलाशय के सामने अंकितानुसार) अमानता राशि जमा करानी होगी।

2 निविदा के लिए समय सारणी निम्न प्रकार हैः–

निविदा विक्रय की अंतिम दिनांक व समय	निविदा जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय	जलाशय जिनकी निविदा मांगी जा रही हैं
दिनांक 18.03.2020 अपरान्ह 1.00 बजे तक	दिनांक 18.03.2020 अपरान्ह 2.00 बजे तक	दिनांक 18.03.2020 अपरान्ह 2.30 बजे	'ख', 'ग' एवं 'घ' प्रवर्ग के जलाशय (निविदा प्रपत्र में दिये गये विवरणानुसार)

3 प्रत्येक निविदादाता को निविदाओं के साथ प्रत्येक जलाशय की अलग अलग 10 प्रतिशत अमानता राशि के ड्राफ्ट जो निदेशक मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर के नाम से देय होगा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। अमानता के लिये चैक व लिफाफे में रखी गई राशि मान्य नहीं होगी। बिना अमानता राशि की निविदा मान्य नहीं होगी।

4 अमानता राशि यदि कम जमा कराई जाती है तो उस निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

5 सभी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट जलाशयों को पहले से विहित प्रक्रिया के अनुसार स्टेजेज बढोतरी के आधार पर सामान्यतः 5 वर्षो की समयावधि के लिए पट्टे पर दिया जा सकेगा। पट्टेदार को प्रतिवर्ष पट्टे धन की संचयी बढती रकम का संदाय करना आवश्यक होगा। ऐसी बढोत्तरी पूर्ववर्ती वर्ष की पट्टा रकम का 12 प्रतिशत होगी। तद्नुसार आगामी वर्षों के लिए बढी हुई पट्टे (लीज) राशि का 1/4 राशि चालू वर्ष की 31 जनवरी तक बढी हुई प्रतिभूति राशि सहित जमा कराई जानी होगी तथा शेष 3/4 पट्टा (लीज) राशि 15 मार्च तक जमा कराई जानी होगी। यदि पट्टेदार उपरोक्त विहित कालावधि के भीतर पट्टा रकम जमा कराने पर असफल रहता है तो पश्चातवर्ती वर्ष के लिए मछली पकड़ने की अनुमति रद्द कर दी जायेगी तथा जलाशय को पुनः ठेके पर दिया जाएगा।

6 निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

7 निविदादाता को अपनी निविदा को वापस लेने अथवा दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।

8 सफल निविदादाता को अपनी निविदा राशि की चौथान राशि (1/4 राशि) निर्देश पर उसी दिन तुरन्त जमा करानी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा कराई गई समस्त अमानता राशि को जप्त कर लिया जायेगा। शेष 3/4 राशि स्वीकृति जारी होने के 30 दिवस में जमा कराई जाकर कुल निविदा रकम का साढे सात प्रतिशत (7.5)की दर से प्रतिभूति राशि 3/4 राशि के साथ अथवा अनुज्ञा पत्र लेते समय जमा करवायी जाकर स्वयं उपस्थित होकर अनुबन्ध कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा। विभाग को देय समस्त राशि निदेशक मत्स्य, राज0 जयपुर के नाम देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी। निविदादाता द्वारा जमा करवाई गई उसी जलाशय की अमानता राशि को चौथान राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।

9 निदेशक मत्स्य/निविदा समिति को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10 निविदादाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम, 1953 तथा मीन नियम 1958 व समय समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पडेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

11. ठेकेदार को निविदा में अंकित जलाशयों जैसे बन्ध/नहर/तालाब/नदी आदि में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या नहीं पकड सकने के कारण तथा अन्य किसी कारण से होने वाले नुकसान आदि के लिए किसी प्रकार का हर्जा या मुआवजा प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।

12. जलाशय में विभागीय परियोजनाएं यथा स्पोर्ट फिशिंग, केज/पैन कल्चर आदि प्रारम्भ की जाने पर निविदादाता तदनुसार विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु बाध्य होगा।

13. निविदादाता द्वारा जलाशय अन्य किसी भी ठेकेदार को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी कारणवश किसी जलाशय पर मनोनीत सदस्य नियुक्त किया जाता है तो नियमानुसार शुल्क जमा कराकर अधिकार पत्र प्राप्त करके सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी/क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य/निदेशक मत्स्य को उसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित कर मनोनयन हेतु सक्षम अधिकारी की मान्यता प्राप्त करेगा अन्यथा अधिकार पत्र न होने की दशा में जलाशय पर मत्स्याखेट अवैधानिक माना जाकर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।

14. पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों की ओर से केवल समिति के प्रस्ताव पर मनोनीत सदस्यों को निविदा देने का अधिकार होगा। इन्हें प्रमाणित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही 5 प्रतिशत कीमत अधिमान् का लाभ देय होगा। कम्पनी/फर्म या अन्य संस्थाओं के मामले में भी संस्था अध्यक्ष/एम.डी./सी.ई.ओ./ई.डी./प्रोपराइटर/पार्टनर आदि अधिकृत व्यक्ति को प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

15. अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर सम्बन्धित निविदादाता को जलाशय का मूल अनुज्ञा पत्र व समस्त लेबर परमिट तथा पाक्षिक पकडी गई मछली के ब्यौरे वाला प्रपत्र आदि निदेशक मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर को जमा कराने होंगे।

16. यदि किसी जलाशय के लिए विशेष निविदा शर्त उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त होगी या निविदा शर्तों में कोई संशोधन/परिवर्धन होगा तो निविदा खोलने के पूर्व कमेटी द्वारा घोषित कर अंकित कर दी जाएगी।

17. राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधित नियम 1991) के प्रारूप 3 की शर्त संख्या 6 व प्रारूप (3) (1) की शर्त संख्या–8 के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करके/नीलामी के द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति प्रतिवर्ष जारी किये जाने की तारीख से 31 मार्च तक प्रवृत्त रहेगी।

18. सफल निविदादाता द्वारा चौथान राशि जमा कराने के बाद ही अन्य निविदादाताओं को धरोहर राशि लौटाई जाएगी।

19. निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवं तार व पत्र मान्य नहीं होगा। तार द्वारा दी गई निविदा मान्य नहीं होगी।

20. निविदादाता को निविदा प्रपत्र में अपना सही पता अंकित करना होगा। संपूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्रादि/सूचना निविदादाता के पास नहीं पहुचेगी तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

21. अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी से लेबर परमिट प्राप्त करना होगा तथा मछली पकडने का कार्य प्रारम्भ करने व बन्द करने की सूचना पूर्व में ही संबन्धित मत्स्य अधिकारी को लिखित में देनी होगी।

22. जलाशय में मत्स्य बीज, खाद आदि का संग्रहण सम्बन्धित मत्स्य विकास अधिकारी से प्रमाणित कराकर उनकी उपस्थिति में किया जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मत्स्य बीज संग्रहण ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से केवल दिन के उजाले में ही किया जाएगा। बीज संग्रहण किये जाने की पूर्व सूचना ठेकेदार द्वारा संबंधित जिला मत्स्य अधिकारी को कम से कम दो दिन पूर्व देनी होगी। संबंधित अधिकारी से प्रमाणित कराए बिना ठेकेदार द्वारा किया गया मत्स्य बीज संग्रहण मान्य नहीं होगा। जलाशय में मत्स्य बीज संचय करने की अनुमानित संख्या ठेकेदार को अनुबंध/अनुज्ञापत्र जारी करते समय सूचित कर दी जाएगी। अनुमोदित मत्स्य बीज जलाशय में संचय नहीं करने की स्थिति में ठेका/अनुज्ञापत्र निरस्त करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

23. चालू वर्ष के ठेके की राशि एंव आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण की राशि मय प्रतिभूति राशि जमा कराने के लिए पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं कराने के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

24. मेरे द्वारा सभी निविदा शर्तें स्वीकार की गई और ये शर्तें मेरे द्वारा विभाग के साथ किये गये अनुबंध का भाग मानी जाएगी।

25. निवास स्थान का पता एवं नाम जो भी निविदा पत्र में अंकित किया जायेगा उसका स्वहस्ताक्षरित फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति निविदा प्रपत्र (विभाग से क्रय/वेबसाईट से डाउनलोड़) के साथ संलग्न करनी होगी।

26. स्टाम्प एक्ट के आर्टिकल के तहत पंजीयन शुल्क देय होगा तो उसका भुगतान पट्टेदार को देना होगा।

27. नीलामी के पश्चात यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर/सर्विस टैक्स मत्स्याखेट पर आरोपित किया जाता है तो उसे स्वीकृत बोलीदाता द्वारा अलग से देय होगा।

28. जलाशय के प्रभावी जलक्षेत्र का 5 प्रतिशत विभाग/राज्य सरकार से संबंधित कार्यों, आर. एण्ड डी. एवं केज कल्चर के लिए केजेज स्थापित करने का सम्मिलित करते हुए आरक्षित रहेगा।

29. मत्स्याखेट हेतु काम में आने वाली नावों का पंजीकरण निर्धारित प्रपत्र में संबंधित कार्यालय में करवाना आवश्यक हैं मत्स्याखेट से पूर्व नावों पर नियमानुसार पंजीकरण क्रमांक, चेतावनी एवं मत्स्य ठेकेदार का नामव ठेका वर्ष नावों पर अंकित कराना आवश्यक है। नाव में सवार होने से पूर्व प्रत्येक नाविक/मछुआरा को सेफ्टी जैकेट (लाईफ जैकेट) पहनना आवश्यक है।

30. मैंने/हम निविदादाताओं ने राजकीय मछली ठेकों की निविदा की उपरोक्त सभी शर्ते पढ़ ली है। उक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं, तथा मंजूरी के हस्ताक्षर मैंने/हमने अपनी राजी–खुशी बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो–हवास में किये हैं तथा मुझे/हमें पूर्ण रूप से सभी शर्तें मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

मत्स्याखेट वर्ष 2020–21 में राजस्थान मीन नियम 1958 के संशोधित नियम वर्ष 1997 एवं वर्ष 2003 के नियम 5 (1) (ड.) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 'ख', 'ग' व 'घ' प्रवर्ग के जलाशयों/नदियों/नहरों एवं नगर निगम/ नगर परिषद/ नगरपालिका सीमा में आने वाले 'ख', 'ग' व 'घ' श्रेणी के जलाशयों हेतु दर अंकित करने हेतु तालिका :–

क्र0 सं0	जलाशय का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपयों में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि
	जिला जयपुर			
1	बंध सागर (आमेर)	2.00	20000	
2	बंध आकेडा उर्फ भावसागर	0.10	1000	
3	बंध रामचन्द्रपुरा	0.20	2000	
	जिला नागौर			
4	बंध कुण्डल (मेड़ता सिटी)	2.00	20000	
	जिला जोधपुर			
5	बंध उम्मेद सागर (जोधपुर शहर)	1.00	10000	
	जिला बासंवाडा			
6	कागदी पिक अप वीयर	1.00	10000	

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र0 सं0	जलाशय का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपयों में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि
	जिला बासंवाडा			
7	नदी माही (मुख्य डेम साईट से नीचे की ओर अगरपुरा पुल तक निर्षध क्षेत्र को छोड़कर), बांसवाड़ा	1.50	15000	
	जिला करौली			
8	बंध जलसैन (हिण्डौन सिटी)	3.00	30000	
	जिला टोंक			
9	बंध बायला (टोडारायसिंह)	0.10	1000	
10	बंध जानवास	0.15	1500	
	जिला झालावाड़			
11	बंध बोरबंद तह0 अकलेरा	0.35	3500	
12	बंध नया तालाब	3.00	30000	
	जिला कोटा			
13	बंध रायपुरा	1.00	10000	

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र0 सं0	जलाशय का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपयों में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि
	जिला कोटा			
14	बंध उम्मेद गंज दांयी मुख्य नहर के दाहिने किनारे ढ़ाड देवी की ओर	0.35	3500	
	जिला भीलवाड़ा			
15	बंध कानोड़ा	0.45	4500	
16	बंध गांधी सागर	2.50	25000	
17	बंध मानसरोवर झील	3.00	30000	
	जिला अलवर			
18	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, अलवर अग्यारा बांध के आउटफाल पर स्थित 5 तालाब	1.00	10000	
	जिला सीकर			
19	नानी बीहड	0.15	1500	
	जिला पाली			
20	बंध मण्डली	2.00	20000	

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र0 सं0	जलाशय का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपयों में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि
	जिला पाली			
21	बंध बोखी का बाला	1.00	10000	
	जिला सिरोही			
22	बंध भैंसा सिंह	4.00	40000	
23	बंध कादम्बरी	3.00	30000	
	जिला धौलपुर			
24	नदी पार्वती आंगई डैम के नीचे से लेकर सिलावट तक राजस्थान उत्तरप्रदेश सीमा	3.00	30000	
	जिला बारां			
25	नदी कूल	0.35	3500	
	जिला बूंदी			
26	नदी खुराड बन का खेडा से पीपलदा तक	3.00	30000	
27	नदी मांगली	2.00	20000	

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र0 सं0	जलाशय का नाम	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपयों में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)	पाँच वर्षों के लिए स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर लेने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निविदत्त राशि
	जिला चित्तौड़गढ			
28	नदी मोडिया महादेव, मोडिया महादेव बंध से लेकर बंध बस्सी केवडिया गांव तक (सैन्चयूरी एरिया छोडकर)	1.50	15000	
29	नदी बागन, बागन डेम के नीचे से लेकर भूतिया गांव एनीकट तक जिला चित्तौड़गढ़	1.20	12000	
30	नदी औराई बस्सी डेम के ओवरफ्लो से भेड़च नदी तक	0.50	5000	

निविदादाता के हस्ताक्षर